2012: सीजीएचसी:8980-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खण्डपीठ:- माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 866/2006

धीरेन्द्र कुमार

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/- आर.एस. शर्मा न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ। **हस्ता/-**

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 13/09/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

2012: सीजीएचसी:8980-डीबी

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

खण्डपीठ :- **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 866/2006

अपीलार्थी: धीरेन्द्र कुमार, पिता रामगोपाल सूर्यवंशी, आयु लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय श्रमिक, निवासी छतौना, थाना-हिर्री, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति:

श्री एम. डी. धोते, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्रीमती मधुनिषा सिंह, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

2012: सीजीएचसी:8980-डीबी

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील

(निर्णय)

(13 सितंबर, 2012 को प्रदत्त)

न्यायाधीश, श्री राधे श्याम शर्मा के अनुसार:

1. यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2006 में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-09-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी धीरेन्द्र कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 500/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, और जुर्माना न भरने की स्थिति में, उसे 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, निम्नानुसार है:

दिनांक 22-06-2005 को, फेकूराम (मृतक) अपने घर में था। दोपहर लगभग 2 बजे, अपीलार्थी धीरेन्द्र कुमार, टंगिया (कुल्हाड़ी) से सज्जित होकर मृतक के घर गया और उसे घर से बाहर आने के लिए पुकारा, किंतु मृतक बाहर नहीं आया। तदुपरांत, मृतक ने अपना भोजन किया और गली की ओर गया। अपीलार्थी वहां मृतक से मिला और उससे पूछा कि वह (मृतक) अपीलार्थी के घर में पंचायती (समस्याएं) क्यों पैदा कर रहा है और मृतक को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मृतक लतेल सूर्यवंशी के घर की ओर भागा। जब मृतक लतेल सूर्यवंशी के घर के बंद दरवाजे के पास पहुँचा और घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा धकेला, तब अपीलार्थी ने मृतक के माथे पर टंगिया से वार किया और वहां से

फरार हो गया। जब मृतक ने दरवाजा अंदर की ओर धकेला, तो कु. रमाला (अभियोजन साक्षी-3) घर से बाहर आई और वह इस घटना की साक्षी बनी। जब मृतक दरवाजा धकेल रहा था, तब कु. रमाला (अभियोजन साक्षी-3) के माथे के बाईं ओर भी चोट आई। मृतक को उसी दिन सिम्स, बिलासपुर ले जाया गया। डॉ. विक्रम खेत्रपाल (अभियोजन साक्षी-12) ने मृतक का परीक्षण किया, उसे अस्पताल में भर्ती किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-24) दी, जिसमें उन्होंने बाएं ललाट क्षेत्र पर एक चोट पाई। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था और ललाट की हड्डी टुकड़ों में टूट गई थी। मृतक की मृत्यु रात लगभग 11 बजे हो गई। मृतक की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी, सिम्स, बिलासपुर भेजी गई जहाँ मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-7) दर्ज की गई और थाना हिर्री में नियमित मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना अधिकारी सिम्स, बिलासपुर पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-5) दिया और मृतक के शव की मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) तैयार की। मृतक के शव को शव-परीक्षण हेतु सिम्स, बिलासपुर भेजा गया जहाँ डॉ. विजय कुमार (अभियोजन साक्षी-11) द्वारा शव-परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) दी जिसमें उन्होंने पाया कि:

i) बाएं शंख क्षेत्र पर 8**X**1 सेमी का अस्थि-गहन फ्रैक्चर। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था।

ii) नाक और कान से रक्त बह रहा था।

iii) शंख-पार्श्विका क्षेत्र में एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा मौजूद था।

iv) बाएं शंख क्षेत्र पर 6.4**X**08 सेमी का अस्थि-गहन विदीर्ण घाव ।

v) रक्त के थक्के मौजूद थे।

vi) चोट के नीचे फ्रैक्चर मौजूद था।

डॉक्टर ने राय दी कि मृतक की मृत्यु का कारण गंभीर सिर की चोट के कारण रक्तस्राव और कोमा था, तथा मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी। आगे की विवेचना में, प्रदर्श पी-12 के तहत घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया गया और पटवारी लखनलाल (अभियोजन साक्षी-18) ने भी प्रदर्श पी-25 के तहत स्थल मानचित्र तैयार किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-8) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-9 के तहत टंगिया जब्त की गई। घटना स्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी प्रदर्श पी-10 के तहत जब्त की गई। अपीलार्थी की पूरी कमीज प्रदर्श पी-11 के तहत जब्त की गई। प्रदर्श पी-15 के तहत देहाती नालिशी दर्ज की गई। तत्पश्चात, थाना हिर्री में पंचकुंवर (अभियोजन साक्षी-1) द्वारा नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कु. रमाला (अभियोजन साक्षी-3) को भी प्रदर्श पी-27 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चकरभाठा भेजा गया और डॉ. ए.के. सान्याल (अभियोजन साक्षी-6) ने उनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दी। जब्तशुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी-21 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-29) प्राप्त हुई।

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सुपुर्द कर दिया, जहाँ से इसे प्रकरण हेतु चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को अंतरित किया गया, जिन्होंने प्रकरण संपन्न किया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.डी. धोटे ने तर्क दिया कि कु. रमाला (अभियोजन साक्षी-3) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। घटना स्थल पर कु. रमाला की उपस्थिति स्थापित नहीं हुई है। कु. रमाला के साक्ष्य को देखने से प्रतीत होता है कि वह घर के अंदर थी और जब मृतक ने दरवाजा धकेला, तो उसे चोट आई और वह अचेत हो गई। इसलिए, उसके लिए घटना को का गवाह होना संभव नहीं है। अतः, कु. रमाला के साक्ष्य को अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रत्यर्थी की विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिषा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2006 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि कु. रमाला (अभियोजन साक्षी-3) के कथन पर आधारित है, जो घटना की चक्षुदर्शी साक्ष्य है और जिसके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है।

बाल साक्षी

6. **दत्तू रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एससीसी 341** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यदि कोई बाल साक्षी तथ्यों का साक्ष्य देने के लिए सक्षम और विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा साक्षी प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल साक्षी के साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को केवल यही सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी विश्वसनीय हो और उसका आचरण किसी भी अन्य सक्षम साक्षी की तरह हो तथा उसके सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना न हो।" इसी मत को **निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2008 एससी 1460** के मामले में पुनः दोहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश एवं अन्य, (2011) 4 एससीसी 786** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "7. **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य,** एआईआर 1952 एससी 54 के मामले में, इस न्यायालय ने शपथ अधिनियम, 1873 की धारा 5 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के प्रावधानों का

परीक्षण किया और यह माना कि प्रत्येक साक्षी साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, जब तक कि न्यायालय यह न समझे कि वह कम आयु, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर या मस्तिष्क की बीमारी, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उसके समक्ष रखे गए प्रश्नों को समझने या उनके तर्कसंगत उत्तर देने से निवारित (रोका गया) है। वस्तुतः सक्षमता सदैव विद्यमान रहती है जब तक कि न्यायालय इसके विपरीत न माने।"

न्यायालय ने आगे निम्नानुसार मत व्यक्त किया:

"11. .... यह वांछनीय है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को हमेशा अपना यह अभिमत दर्ज करना चाहिए कि बच्चा सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं; अन्यथा साक्षी की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करना आवश्यक हो सकता है। किंतु क्या मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश वास्तव में उस अभिमत के थे, यह औपचारिक प्रमाणपत्र के अभाव में भी परिस्थितियों से समझा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मंगू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1995 एससी 959 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि बच्चे को सिखाने-पढ़ाने की गुंजाइश हमेशा रहती है, तथापि, केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बाल साक्षी को सिखाया-पढ़ाया ही गया होगा। न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या बच्चे को सिखाया-पढ़ाया गया है या नहीं। इसका

पता साक्ष्य के परीक्षण और उसकी अंतर्वस्तु से लगाया जा सकता है कि क्या उसमें सिखाए जाने के कोई चिह्न मौजूद हैं।

9. पंची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177: 1998 एससीसी (क्रि.)1561: एआईआर 1998 एससी 2726, के मामले में, इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह अवलोकन किया कि बाल साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास करने से पूर्व उसकी पर्याप्त संपुष्टि होनी चाहिए। हालांकि, यह कानून के नियम की अपेक्षा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का नियम अधिक है।

"न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि "ऐसा नहीं है कि बाल साक्षी का साक्ष्य हमेशा के लिए कलंकित माना जाएगा। कानून यह नहीं कहता कि यदि साक्षी एक बच्चा है, तो उसके साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए, भले ही वह विश्वसनीय पाया गया हो। कानून यह है कि बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों में आने के प्रति संवेदनशील होता है और इस प्रकार वह सिखाए-पढ़ाए जाने का आसान शिकार हो सकता है।" (एससीसी पृष्ठ 181, कंडिका 11)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 12 एससीसी 565: (2009) 1 एससीसी (क्रि.) 454: एआईआर 2008 एससी 1460 के मामले में, इस न्यायालय ने बाल साक्षी के संबंध में विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी किया है: (एससीसी पृष्ठ 567-68, कंडीका 10)

"10....'....7.... इस प्रश्न पर निर्णय कि क्या बाल साक्षी के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है, मुख्य रूप से प्रकरण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो उसके व्यवहार, उसकी स्पष्ट बुद्धिमत्ता या उसके अभाव को देखता है, और उक्त न्यायाधीश ऐसी किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जिससे उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ के दायित्व की उसकी समझ का पता चल सके। हालांकि, प्रकरण न्यायालय के निर्णय में उच्चतर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, यदि अभिलेख पर संरक्षित सामग्री से यह स्पष्ट हो कि उसका निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। यह सावधानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाल साक्षी दूसरों के सिखाने-पढ़ाने के प्रति सुभेद्य होते हैं और अक्सर कल्पना की दुनिया में जीते हैं। यद्यपि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी खतरनाक गवाह होते हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित, ढले और ढाले जा सकते हैं, लेकिन यह भी एक स्वीकृत मानदंड है कि यदि उनके साक्ष्य की सूक्ष्म जांच के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसमें सत्य की छाप है, तो बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है।"

11. "बाल साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम था और प्रति-परीक्षण के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि क्या प्रत्यार्थी अधिवक्ता कुछ ऐसा प्रस्तुत कर सकता है जिससे यह संकेत मिले कि बच्चा सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सका। न्यायालय उससे प्रश्न पूछकर साक्षी के रूप में उसकी उपयुक्तता का निर्धारण कर सकता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और यदि ऐसे प्रश्न नहीं भी पूछे गए हों, तो उसके साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वह जो कह रहा था उसके निहितार्थों को पूरी तरह से समझता था और क्या वह कड़ी प्रतिपरीक्षा का सामना करने में अविश्वसनीय सिद्ध हुआ। एक बाल साक्षी को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम होना चाहिए।" (देखें: हिम्मत सुखदेव वाहुरवाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 712)

12. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर, (2010) 12 एससीसी 324 : (2011) 1 एससीसी (क्रि.) 381 : एआईआर 2010 एससी 3071 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कानून का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि यह अकल्पनीय हो कि कोमल आयु का बच्चा अपनी स्मृति में तथ्यों को पुनरावृत्त करने में सक्षम नहीं होगा। एक बच्चा अपने जीवन में होने वाली असामान्य घटनाओं के प्रति हमेशा ग्रहणशील होता है और वह अपने शेष जीवन के लिए उन घटनाओं को कभी नहीं भूलता है। बच्चा भविष्य में पूछे जाने पर तथ्यों को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से पुनरावृत्त करने में सक्षम हो सकता है। यदि बच्चा अपराध की प्रासंगिक घटनाओं को बिना किसी सुधार या अतिशयोक्ति के समझाता है, और यदि वे न्यायालय का विश्वास अर्जित करते हैं, तो उसके बयान के लिए किसी भी प्रकार की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। कोमल आयु का बच्चा किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या दुर्भावना रखने में असमर्थ होता है। इसलिए, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री होनी चाहिए जो न्यायालय को संतुष्ट कर सके कि घटना की तारीख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और बाल साक्षी के साक्ष्य दर्ज करने के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण साक्षी अभियुक्त को गंभीर प्रकृति के मामले में झूठा फंसाना चाहता था।"

8. **मोहम्मद कलाम बनाम बिहार राज्य, (2008) 7 एससीसी 257** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"7. पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया था कि बाल साक्षी के साक्ष्य को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने के प्रति संवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बाल साक्षी आसानी से सिखाने-पढ़ाने का शिकार हो जाता है। न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि क्या न्यायालय के समक्ष पीड़ित का बयान पीड़ित की स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है और क्या वह दूसरों के प्रभाव में नहीं थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पंचकुंवर (अभियोजन साक्षी -1) और जल बाई (अभियोजन साक्षी -2) ने बयान दिया कि अपीलकर्ता उनके घर आया और दरवाजा खटखटाया। जल बाई (अभियोजन साक्षी -2) और उमा घर से बाहर आईं और उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता मृतक के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और मृतक को बुला रहा था, जिसके बाद मृतक अपीलकर्ता के साथ चला गया।

10. कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) ने बयान दिया कि घटना की तारीख को वह रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) के घर में टीवी देख रही थी। दोपहर करीब 2:30 बजे, वह अपने घर लौटने के लिए उठी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि मृतक रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) के घर की ओर दौड़ रहा था और अपीलकर्ता भी उसके पीछे दौड़ रहा था और उसने मृतक पर टंगिया से हमला किया। उसने आगे बताया कि अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर टंगिया से वार किया। उसने आगे यह भी बयान दिया कि जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो मृतक ने भी दरवाजे को अंदर की ओर धकेला, जिसके कारण उसके माथे पर चोट आई और अपीलकर्ता ने टंगिया के धारदार हिस्से से मृतक पर हमला किया। खून बह रहा था। उसने आगे बताया कि मृतक को उसकी पत्नी ले गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) और सरिता (अभियोजन साक्षी-5) ने बयान दिया कि कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) और सरिता (अभियोजन साक्षी-5) रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) के घर पर टीवी देख रहे थे। रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) ने बयान दिया कि घर का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। आवाज सुनकर वह अपने घर से बाहर आया। जब वह आवाज सुनकर दरवाजे के पास पहुँचा, तब उसने देखा कि मृतक ने दरवाजा बंद कर दिया था और वह दरवाजे के पास खड़ा था और उसने अपना सिर दबा रखा था। उसने मृतक से पूछा लेकिन वह बोलने में असमर्थ था। सरिता (अभियोजन साक्षी-5) ने भी बयान दिया कि टीवी देखने के बाद वह कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मृतक रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) के घर के दरवाजे के पास

खड़ा था और उसने अपने हाथ से अपना सिर दबा रखा था और खून बह रहा था। उस समय कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) रो रही थी और दरवाजे के पास खड़ी थी।

12. पंचकुंवर (अभियोजन साक्षी-1) और जल बाई (अभियोजन साक्षी-2) ने बयान दिया कि सरिता (अभियोजन साक्षी-5) ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता ने मृतक पर हमला किया था, जिसके बाद वे घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि मृतक रामकुमार (अभियोजन साक्षी-4) के घर से बाहर आ रहा था और उसके सिर पर चोट लगी थी। उन्होंने आगे बयान दिया कि वे मृतक को अपने घर ले गए और तत्पश्चात मृतक को सरकारी अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. डॉ. विक्रम खेत्रपाल (अभियोजन साक्षी-12) ने बयान दिया कि दिनांक 22-06-2005 को शाम लगभग 4:30 बजे मृतक फेकुराम को सिम्स, बिलासपुर में भर्ती कराया गया था और उसी दिन रात लगभग 11:10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे बताया कि उसकी सामान्य स्थिति अत्यंत खराब थी और वह अचेत था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मृतक के सिर पर चोट आई थी। डॉ. विजय कुमार (अभियोजन साक्षी-11) ने बयान दिया कि लेफ्ट टेम्पोरल रीजन (बाएं कनपटी क्षेत्र) पर फ्रैक्चर मौजूद था और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था। उन्होंने आगे यह निष्कर्ष दिया कि मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्राव और गंभीर सिर की चोट के कारण कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

14. घटना की तारीख और समय दिनांक 22-06-2005 को दोपहर लगभग 2:30 बजे था और उसी दिन शाम लगभग 4 बजे देहाती नालिश (प्रदर्श पी-15) दर्ज की गई थी। देहाती नालिश (प्रदर्श पी -15) घटना के 1½ घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) का केस डायरी कथन दिनांक 22-06-2005 को, अर्थात घटना की तारीख को ही दर्ज किया गया था।

15. कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) ने उपरोक्त तथ्यों का बिना किसी विलंब के खुलासा किया था। पंचकुंवर (अभियोजन साक्षी-1) और जल बाई (अभियोजन साक्षी-2) ने विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलकर्ता उनके घर आया और दरवाजा खटखटाया। उसने मृतक को बुलाया था और मृतक अपीलकर्ता के साथ चला गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक अपीलकर्ता के साथ चला गया था और कुछ समय बाद मृतक के सिर पर चोट आई और कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) इस घटना की साक्षी बनी। कु. रामाला (अभियोजन साक्षी-3) का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट है, इसलिए उसका साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमने कु. रामला (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। उसने विशेष रूप से बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता ने टंगिया से मृतक पर हमला किया था। वह एक स्वतंत्र साक्षी है और अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का उसका कोई हेतुक नहीं था। उसका साक्ष्य निर्णायक और ठोस है। हमारी यह राय है कि बाल साक्षी कु. रामला (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को

दोषी ठहराने वाले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. पूर्वोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिला है। यह खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

हस्ता/- **हस्ता/-**

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस. शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----------**अस्वीकरणः**

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI